

# आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

शस्त्र अपीलवाद संख्या—126/2023

अमित कुमार त्रिपाठी, पिता—स्व० राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी।

बनाम्

जिला दण्डाधिकारी, सीवान।

## उपस्थिति / प्रतिनिधित्व

अपीलकर्ता की तरफ से

:- विद्वान अधिवक्ता, छोटे प्रसाद मिश्रा।

सरकार के तरफ से

:- विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण।

## आदेश

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
<u>25.10.2024</u> <u>06.11.2024</u>	<p>प्रस्तुत शस्त्र अपीलवाद जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक—454 / शस्त्र, दिनांक—12.10.2019 के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा अपीलकर्ता के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञाप्ति सं०—235/2003 (D.B.B.L Gun No-S/H 8001887) को रद्द कर दी गई है।</p> <p>संक्षेप में विवरण यह है कि अमित कुमार त्रिपाठी, पिता—स्व० राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, निवासी ग्राम—दसौली, पो०+थाना—दरौली, जिला—सीवान को शस्त्र अनुज्ञाप्ति सं०—235/2003 (D.B.B.L GUN) जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा निर्गत किया गया था। इसी बीच आयुध अधिनियम, 2016 के प्रभावी होने के फलस्वरूप गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार, पटना के पत्रांक—7584, दिनांक—29.08.2018 एवं पत्रांक—8461, दिनांक—26.09.2018 एवं पत्रांक—434, दिनांक—15.01.2019 द्वारा दिनांक—01.04.2016 के पूर्व निर्गत शस्त्र अनुज्ञाप्ति पर धारित शस्त्र हेतु Unique Identification Number (UIN) Generate कर NDAL/ALIS Portal पर दिनांक—31.03.2019 तक अनिवार्य रूप से प्रविष्टि करने हेतु सीवान जिलान्तर्गत शस्त्र अनुज्ञाप्तिधारी को आम सूचना दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उपरोक्त निदेश का अनुपालन करने का निदेश दिया गया। अपीलकर्ता द्वारा निर्धारित तिथि तक उक्त निदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार का निदेश के अनुपालन में वैसे शस्त्र अनुज्ञाप्ति दिनांक—01.04.2019 के प्रभाव से Invalid हो जाने के निदेश के क्रम</p>	

में जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा अपीलकर्ता की शस्त्र अनुज्ञाप्ति रद्द की गई।

**उभय पक्षों को विस्तारपूर्वक सुना।**

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक का UIN No-052050013776962015 को नवीकरण हेतु दरौली थाना से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि NDAL Portal पर UIN नहीं दिख रहा है। इनका आगे कहना है कि अपीलकर्ता द्वारा जिला दण्डाधिकारी, सीवान के समक्ष सभी आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने के पश्चात् भी उनके द्वारा बिना गौर किए अनुज्ञाप्ति गलत ढंग से रद्द कर दी गई है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि यद्यपि अपीलकर्ता द्वारा जिला दण्डाधिकारी के निर्देश का अनुपालन किया गया, परन्तु उनके द्वारा सभी तथ्यों पर विचार किए बिना ही आवेदक की शस्त्र अनुज्ञाप्ति Routine Course में रद्द कर दी गई है, जो की नियमों के विपरीत है एवं विधिसम्मत नहीं है इसलिए जिला दण्डाधिकारी का आदेश रद्द करने योग्य है।

जिला दण्डाधिकारी, सीवान का पक्ष रखते हुए अपर लोक अभियोजक, सारण द्वारा जिला दण्डाधिकारी, सीवान के पारित आदेश को विधिमान्य, उचित एवं upheld याएय बताया गया। इन्होंने आगे कहा की जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश आयुध अधिनियम, 2016 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत है, ऐसी स्थिति में इस स्तर से उक्त आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दलील, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा जिला दण्डाधिकारी, सीवान के निदेश का अनुपालन नहीं करने एवं निर्धारित तिथि तक UIN Generate नहीं करने के कारण इनकी शस्त्र अनुज्ञाप्ति रद्द की गई है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि वर्ष-2021 में शस्त्र का सत्यापन/नवीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर अपीलकर्ता को ज्ञात हुआ कि इनकी अनुज्ञाप्ति वर्ष-2019 में ही रद्द हो चुकी है, परन्तु अनुज्ञाप्ति रद्द होने के पश्चात् शस्त्र सरकारी मालखाना में जमा नहीं कराया गया है जैसा की दिनांक-13.09.2021 को इनके द्वारा प्रस्तुत

शस्त्र का सत्यापन/ नवीकरण हेतु जिला शस्त्र पदाधिकारी को प्रेषित आवेदन से स्पष्ट होता है। निश्चित रूप से अपीलकर्ता का यह आचरण शस्त्र अनुज्ञाप्ति के शर्तों के विपरीत है। जहाँ तक NDAL Portal पर UIN Generate नहीं होने का प्रश्न है, तो अपीलकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि यह विश्वास किया जा सके की अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित कराये गये आम—सूचना में विहित प्रक्रिया के अनुपालन में इनके द्वारा तत्परता दिखाई गई है। यह स्पष्ट है कि आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली, 2016 में निहित प्रावधान—15 (2) के आलोक में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार दिनांक—01.04.2019 के प्रभाव से वैसे शस्त्र अनुज्ञाप्ति स्वतः Invalid हो गये, जिनसे संबंधित प्रविष्टि NDAL Portal पर नहीं कराया जा सका। इसी क्रम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र सं०-D.O No-V-11026/133/2017-Arms दिनांक—12.07.2019 के द्वारा मुख्य सचिव, बिहार को प्रेषित पत्र का मुख्य अंश निम्नवत् है:-

*"I invite attention to Rule 15 (2) of the Arms Rules, 2016 (Licence invalid if not on NDAL). Consequently, all the arms licences not borne on NDAL Portal will be considered invalid being without UIN and may potentially invite adverse consequences, which need to be obviated."* भारत सरकार के निदेश के अनुपालन में जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा अपने जिले से निर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञाप्ति पर धारित शस्त्र का UIN Generate कर NDAL/ALIS Portal पर दिनांक—31.03.2019 तक प्रविष्टि करने हेतु निदेश दिया गया था। इतना ही नहीं भारत सरकार, गृह मंत्रालय के उपरोक्त पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से निम्नांकित सूचना (PR.9761 (District) 2018-19) प्रकाशित करायी गयी थी ;

“सरकार के अवर सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के पत्र सं०-7/अनु०-10-02/2013 खण्ड-II गृ० आ० 7584 दिनांक—29.08.2018 के आलोक में दिनांक—31.03.2018 तक बिना UIN वाले सभी शस्त्र अनुज्ञाप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि आयुध नियम, 2016 के नियम—15 (2) में शस्त्र अनुज्ञाप्ति की Data प्रविष्टि हेतु पूर्व निर्धारित अंतिम

तिथि—31.03.2018 में संशोधन करते हुए इसे दिनांक—31.03.2019 तक विस्तारित किया गया है।

अनुज्ञप्तिधारियों का Database तैयार करने हेतु चार तरह के विहित प्रपत्र तैयार किये गये, जो निम्नांकित हैं:—

**Form-1**—सीवान जिला से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

**Form-2**—सीवान जिला से बाहर की अनुज्ञप्ति, जो सीवान जिला के ओ०डी० पंजी में पंजीकृत है के अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

**Form-3**—Sporting Weapon के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

**Form-4**—संस्थान के नाम से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

सभी सूचनाएँ विहित प्रपत्र में पूर्ण एवं शुद्ध रूप से भरकर दिनांक—31.03.2019 से कम से कम 7 (सात) दिन पूर्व निश्चित रूप से जिला शस्त्र शाखा, सीवान में जमा कर देना है एवं पावती रसीद प्राप्त कर लेना है। विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ फैक्स/ई-मेल/डाक से स्वीकार्य नहीं होंगी, बल्कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि से व्यक्तिगत रूप से ही प्राप्त की जाएगी। विहित प्रपत्र के साथ शस्त्र अनुज्ञप्ति की छाया प्रति एवं अनुज्ञप्तिधारी का एक अद्यतन फोटो भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक प्रपत्र नहीं जमा करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों का Database तैयार नहीं हो सकेगा और उनकी अनुज्ञप्ति दिनांक—01.04.2019 से अवैध मानी जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं पूर्णतया जिम्मेवार होंगे।”

भारत सरकार के निदेश के अनुपालन में जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा अपने जिले से निर्गत सभी प्रकार के शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र UIN Generate कर NDAL/ALIS Portal पर दिनांक—31.03.2019 तक प्रविष्टि करने का निदेश दिया गया था। इसी क्रम में उनके द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना भी प्रकाशित करायी गयी थी। अपीलकर्ता का यह दावा है कि उन्हें ससमय सूचना प्राप्त नहीं हो सकी, जिसके कारण उनके द्वारा उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया गया, सर्वथा अमान्य होता है। जहाँ तक अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह दावा करना कि शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया

गया है, यह दावा भी पूरी तरह विश्वसनीय एवं स्वीकार्यणीय नहीं है, क्योंकि जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्र अनुज्ञप्ति को गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं उसके अनुसरण में गृह विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त पत्रों में अंकित निदेश के अनुपालन में कार्रवाई की गयी है एवं कार्रवाई के पूर्व सभी मान्य प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जिला के शस्त्रधारियों को विभिन्न माध्यमों से यथा प्रिंट मीडिया के द्वारा सूचना प्रकाशित की गई। तत्पश्चात् ही अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सूचना में निहित निदेश का अनुपालन निर्धारित तिथि यथा दिनांक—31.03.2019 तक नहीं किये जाने एवं दिनांक—01.04.2019 के प्रभाव से अनुज्ञप्ति स्वतः Invalid हो जाने संबंधी स्पष्ट प्रावधान के अनुपालन में किया गया है। ठीक इसके विपरीत शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द होने के पश्चात भी जिला दण्डाधिकारी, सीवान के आदेश के आलोक में अपना शस्त्र सरकारी मालखाना में जमा ना करते हुए शस्त्र को अपने पास रखना इनके नियम विरुद्ध आचरण को दर्शाता है। उपर्युक्त वर्णित स्थिति से यह स्वतः स्पष्ट है कि अपीलकर्ता रख्यां ही अपने शस्त्र का ससमय UIN Generate नहीं कराने के लिए जिम्मेवार है। ऐसी स्थिति में जिला दण्डाधिकारी, सीवान के द्वारा पारित आदेश में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी ऐसे किसी त्रुटि को इंगित नहीं किया जा सका है, जिससे जिला दण्डाधिकारी, सीवान के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से जिला दण्डाधिकारी सीवान द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक—454 / शस्त्र, दिनांक—12.10.2019 को यथावत् रखा जाता है।

तदनुसार प्रस्तुत अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आई०टी० सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त